प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 98/2005

घासिया, सिंह और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायाधीश

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा,

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 98/2005

अपीलार्थीगण: 1. घासिया सिंह, पिता हेनज़ो सिंह, आयु लगभग 50 वर्ष

2. मंगरा सिंह, पिता हेनज़ो सिंह, आयु 35 वर्ष

3. काला सिंह, पिता घासिया सिंह, आयु लगभग 22 वर्ष

सभी जाति के रौतिया और निवासी ग्राम मंदर टांगा, थाना तहसील और जिला जशपुर (छ.ग)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दाण्डिक अपील)

उपस्थित: अपीलार्थी की ओर से श्री नीरज मेहता,अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्रीमती मधु निशा सिंह, पैनल अधिवक्ता ।

निर्णय

(04.05.2012)

न्यायालय का निम्लिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा प्रदत्त।

(1) यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग) द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 70/2004 में दिनांक 27 अक्टूबर 2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध है। उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थीगण को भा.द.वि. की धारा 302/34 एवं 449/34 के तहत दोषी ठहराया गया है। आजीवन कारावास और 10 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है , साथ ही प्रत्येक आरोप में 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

मृतक पेका सिंह और मंगनी बाई (पति-पत्नी) मंदेर तांगा गांव में एक ही घर में रहते थे। 6 मई 2004 को उनके शव उनके घर में ही मिले। शवों पर कई गंभीर चोटें थीं। दरअसल, दोनों की मृत्यु मानववध थी। फूलचंद ने घटना की सूचना जगन्नाथ सिंह (मृतक पेका सिंह के भाई, अ.सा-1) को दी। जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) दूसरे गांव में रहते थे। जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर, प्रदर्श पी 1) दर्ज कराई। साथ ही पंजीकरण सूचना (प्रदर्श पी 5 और पी 6) भी दर्ज कराई गई। विवेचना अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी 7 और पी 8) दिए और मृतकों के शवों का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी 9 और पी 10) किया। शवों को शव परीक्षण के लिए भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. आर.एन. केरकेट्टा (अ.सा-6) द्वारा किया गया, जिन्होंने मृतकों के शवों पर कई गंभीर चोटें पाईं और राय दी कि मृत्यु का कारण रक्तस्रावी और तंत्रिका संबंधी आघात थे और मृत्यु की कृति मानवध थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/17 और पी/18 हैं। स्तीकृत रूप से घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। निम्नलिखित वे परिस्थितियाँ हैं, जिन पर माननीय सत्र न्यायाधीश ने भरोसा किया और यह माना कि यह सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध हो गया है कि अपीलार्थीगण ने मृतकों के घर में घुसकर उनकी हत्या की थी, इसलिए वे उपरोक्त दंड के पात्र हैं:

(i) अपीलार्थीगण और मृतक पेका सिंह के बीच भूमि विवाद था; इस संबंध में व्यवहार न्यायालय रायगढ़ द्वारा पेका सिंह के पक्ष में एक डिक्री पारित की गई थी और संबंधित तहसीलदार के समक्ष दायर कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) व्यवहार वाद में निर्णय के बाद आरोपी व्यक्तियों ने मृतक पेका सिंह से कहा था कि वे उन्हें जीने नहीं देंगे और यह तथ्य पेका सिंह ने जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) को बतायी थी;

(iii) भैयाराम (अ.सा-3) और रामधनी राम (अ.सा-7) आमतौर पर मृतक व्यक्तियों के घर में सोते थे। 5 और 6 मई 2004 की दरमियानी रात को, अपीलार्थी काला सिंह ने भैयाराम (अ.सा-3) और रामधनी राम (अ.सा-7) को मृतक व्यक्तियों के घर से किसी अन्य स्थान पर सोने के लिए जाने को कहा;

(iv) अपीलार्थी- मंगरा सिंह ने होंड्रो सिंह (अ.सा-4), राधा सिंह (अ.सा-5) और रामधनी साव के समक्ष गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति की कि अपीलार्थी-कला सिंह ने मृतक व्यक्तियों की हत्या कारित की है।

(3) अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज मेहता ने तर्क दिया कि पक्षों के बीच व्यवहार वाद के इतिहास को छोड़कर, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई अन्य परिस्थिति सिद्ध नहीं की गई है।अपीलार्थी काला सिंह की मृतक व्यक्तियों के घर में उपस्थिति, न्यायिकेत्तर संस्वीकृति किया और अपीलार्थीगण द्वारा मृतक को दी गई धमकी, ये सभी परिस्थितियाँ अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध नहीं की गई हैं। अत:, अपर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित दोषसिद्धि अपास्त किये जाने योग्य है।

(4) दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधु निशा सिंह ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(6) जहां तक भूमि विवाद की परिस्थिति का संबंध है, जगन्नाथ सिंह अ.सा-1) के साक्ष्य से यह पता चलता है कि हेन्जो सिंह (अपीलार्थी क्रमांक 1 और 2 के पिता और अपीलार्थी क्रमांक 3 के दादा) और इन साक्षियों के पिता तथा मृतक पेका सिंह के बीच किसी भूमि को लेकर सिविल विवाद हुआ था और मृतक के पिता के पक्ष में डिक्रीत पारित किया गया था। एक वर्ष पूर्व हेन्जो सिंह ने जशपुर के तहसीलदार न्यायालय में अपने नाम के परिवर्तन के लिए पुनः आवेदन किया था, लेकिन उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया था। तहसील न्यायालय के आदेशपत्रों की प्रतियां प्रदर्श-पी 4 के रूप में सिद्ध की गई हैं। अतः सत्र न्यायालय द्वारा यह उचित ही माना गया कि सिविल विवाद की पृष्ठभूमि से संबंधित उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध की गई थी।

(7) जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) ने गवाही दी कि जब वह फागुन के महीने में मृतक पेका सिंह से मिले थे, तो मृतक ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी कह रहे थे कि यद्यपि उन्होंने मुकदमा जीत लिया है, लेकिन वे उन्हें जीने और खेत जोतने नहीं देंगे। जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) के अनुसार, अपीलार्थीगण द्वारा मृतक पेका सिंह के विरुद्ध प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"....उसने बताया था कि अभियुक्तगण मेरे भाइ से यह बोले थे कि तुम लोग भले ही केस में जीत गये हो परन्तु हम लोग जीने खाने नहीं देंगे।

"विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्ष्य को मौखिक मृत्युकालिक कथन रूप में स्वीकार किया है। राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधु निशा सिंह ने तर्क दिया है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने यह सही माना है कि यह मृतक द्वारा अपने भाई को दिया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन था।

(8) हमने इस संबंध में दोनों अधिवक्ताओ द्वारा दिए गए तर्कों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

(9) साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 (1) किसी व्यक्ति द्वारा "उसकी मृत्यु के कारण" या "उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके स्वरूप उसकी मृत्यु हुई" दिए गए कथन की ग्राह्यता का प्रावधान करती है। धारा 32 में आने वाले शब्द "उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के बारे में जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई" का वास्तविक घटना से कुछ निकट संबंध होना चाहिए।

(10) **<u>पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट, एआईआर 1939 पीसी</u>**

<u>47,</u> प्रासंगिक भाग, जो वाक्यांश से संबंधित है ," संव्यवहार की परिस्थितियाँ" निम्नानुसार उद्धृत की गई हैं:-

परिस्थितियाँ संव्यवहार की घटना से संबंधित होनी चाहिए: भय या संदेह दर्शाने वाले सामान्य कथन, चाहे वे किसी विशेष व्यक्ति के प्रति हों या किसी अन्य के प्रति, और जो मृत्यु के अवसर से सीधे संबंधित न हों, ग्राह्य नहीं होंगे।

लेकिन मृतक द्वारा दिए गए बयान कि वह उस स्थान पर जा रहा था जहाँ वास्तव में उसकी हत्या हुई थी, या उसके जाने के कारणों के बारे में, या कि वह किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जा रहा था, या कि उसे उस व्यक्ति द्वारा मिलने के लिए आमंत्रित किया गया था, ये सभी "घटना से संबंधित परिस्थितियाँ" होंगी, और ऐसा तब भी होगा जब वह व्यक्ति अज्ञात हो, या आरोपी व्यक्ति न हो। ऐसा बयान वास्तव में रिहाई का आरोपी व्यक्ति के। 'संव्यवहार की परिस्थितियाँ' एक ऐसा वाक्यांश है जो निस्संदेह कुछ सीमाओं को दर्शाता है। यह 'परिस्थितिजन्य साक्ष्य' के समान व्यापक प्रयोग जितना व्यापक नहीं है, जिसमें सभी सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य शामिल होते हैं। दूसरी ओर, यह 'रेस गेस्टे' से संकीर्ण है। परिस्थितियों का वास्तविक घटना से कुछ निकट संबंध होना चाहिए: हालाँकि, उदाहरण के लिए, लंबे समय तक जहर दिए जाने के मामले में, वे वास्तविक घातक खुराक की तारीख से काफी दूर की तारीखों से संबंधित हो सकती हैं। यह ध्यान दिया जाएगा कि 'परिस्थितियाँ' उस संव्यवहार की हैं जिसके परिणामस्वरूप बयानकर्ता की मृत्यु हुई। यह आवश्यक नहीं है कि बयानकर्ता की मृत्यु के अलावा कोई ज्ञात संव्यवहार हो, क्योंकि साक्ष्य की ग्राह्यता की शर्त यह है कि '(बयानकर्ता की) मृत्यु का कारण प्रश्न में आता है।'

(11) उक्त निर्णय का हवाला देते हुए, **कंस राज बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2000) 5 एससीसी 207** में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 32 में प्रयुक्त शब्द "उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई" का वास्तविक घटना से कुछ निकट संबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मृतक का मृत्यु के कारण या उस संव्यवहार की परिस्थितियों से संबंधित कथन, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, वास्तविक संव्यवहार से पर्याप्त रूप से या निकटता से जुड़ा होना चाहिए। निकटता की कसौटी को बहुत शाब्दिक रूप से नहीं लिया जा सकता और इसे व्यावहारिक रूप से सार्वभौमिक अनुप्रयोग के एक अनम्य सूत्र में सीमित नहीं किया जा सकता। समय की दूरी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी या भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, जहां मृत्यु एक निरंतर, लंबे समय से चल रहे नाटक की तार्किक परिणति है और मानो कहानी का अंत है, वहां नाटक के अंत से सीधे जुड़े प्रत्येक चरण के संबंध में दिया गया कथन ग्राह्य होगा क्योंकि पूरे कथन को एक समग्र इकाई के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, न कि संदर्भ से अलग करके। कभी-कभी मृत्यु के लेन-देन के एक भाग के रूप में सुसंगत या तात्कालिक उद्देश्य प्रदान करने वाले कथन भी ग्राह्य हो सकते हैं।यह स्पष्ट है कि ये सभी बयान मृतक की मृत्यु के बाद ही सामने आते हैं, जो मृत्यु के बाद बोल रहा होता है। उदाहरण के लिए, यदि मृत्यु विवाह के कुछ ही समय बाद होती है या मृत्यु के बीच का समय 3-4 महीने से अधिक नहीं है, तो धारा 32 के तहत बयान ग्राह्य हो सकता है। "उस लेन-देन की परिस्थितियाँ जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई" अभिव्यक्ति का अर्थ है कि परिस्थितियों और मृत्यु के बीच सीधा संबंध होना आवश्यक नहीं है। दूर की परिस्थितियाँ भी ग्राह्य हो सकती हैं यदि उनका उस संव्यवहार से संबंध हो जिसके कारण मृत्यु हुई हो।

(12) इसलिए, "उस संव्यवहार की परिस्थितियों का वर्णन जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई" से संबंधित कथन का मृत्यु से सीधा संबंध होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका वास्तविक घटना से कुछ संबंध अवश्य होना चाहिए। मृतक दोषियों के नाम बता सकता है, वह घटना के घटित होने का तरीका और उससे संबंधित परिस्थितियाँ बता सकता है, और यह घटना में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों को निर्दोष साबित कर सकता है।

(13) इस मामले में, जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) के अनुसार, मृतक पेका सिंह ने उनसे उपरोक्त प्रकार का एक अनौपचारिक बयान दिया था। यदि हम जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) के उक्त साक्ष्य पर भी भरोसा करें, तो पेका सिंह ने स्पष्ट शब्दों में यह नहीं बताया कि किसने उन्हें उपरोक्त प्रकार से धमकी दी थी। इस मामले में 3 आरोपी हैं। क्या उन सभी ने पेका सिंह से उपरोक्त बातें कही थीं या उनमें से किसी एक ने उन्हें उपरोक्त प्रकार से धमकी दी थी? यह तर्कसंगत नहीं लगता कि तीनों आरोपियों ने मिलकर जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) के कथनानुसार उन्हें धमकी दी होगी। निकटता के परीक्षण को लागू करने पर, यह ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उपरोक्त साक्ष्य को उस संव्यवहार की परिस्थिति माना जाए जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। इस मामले में, जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) के संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन से यह प्रतीत नहीं होता कि मृतक की मृत्यु कथित धमकी का तार्किक परिणाम थी। ऐसे साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अभियोजन पक्ष को साक्ष्य का उस लेन-देन से संबंध सिद्ध करना होगा जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। प्रतिपरीक्षण के पैरा-15 में, जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) ने स्वीकार किया कि उनके भाई ने बताया था कि आरोपियों ने उनसे कहा था कि मुकदमा जीतने के बाद भी वे उन्हें जमीन पर खेती नहीं करने देंगे। हम इस संबंध में प्रयुक्त वास्तविक शब्दों का उल्लेख करना चाहेंगे जो अंततः प्रतिपरीक्षण में सामने आए:

“....अभियुक्तगण पेका को बोले थे कि केस में जीत गये हो लेकिन कमाने खाने नहीं देंगे.....”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मान भी लें कि ऐसी घटना घटी थी, तो यह एक साधारण घोषणा थी जो हारे हुए पक्षकार ने सिविल विवाद में की थी कि वे दूसरे पक्षकार (मृतक) को खेत जोतने नहीं देंगे। हमारा मानना है कि उपरोक्त साक्ष्य "उस संव्यवहार की किसी भी परिस्थिति के संबंध में जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हुई" वाक्यांश के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए, उपरोक्त साक्ष्य अपीलार्थीगण के विरुद्ध गंभीर संदेह उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 449/34 के तहत अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए मृत्यु कालिक कथन रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।

(14) अभियोजन पक्ष के अनुसार, भैयाराम (अ.सा-3) और रामधनी राम (अ.सा-7) आमतौर पर घर में सोते थे।मृतक व्यक्तियों के संबंध में, इन गवाहों के अनुसार, घटना वाली रात लगभग 9 बजे, आरोपी काला सिंह पेका सिंह के घर आया और उन्हें धमकाकर भगा दिया। उसने उनसे कहा कि अगर वे नहीं जाएंगे तो उन्हें सीने में गोलियां मार दी जाएंगी। उसने उनके पलंग फेंक दिए। इस पर वे दुलार के घर चले गए। अगली सुबह उन्हें घटना की जानकारी मिली। पैरा-3 में प्रतिपरीक्षण के दौरान, भैयाराम (अ.सा.-3) ने बयान दिया कि आरोपी काला सिंह भी पेका सिंह के घर में उनके साथ सोता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि पेका सिंह और उसकी पत्नी काला सिंह को अपने घर में अपने बेटे की तरह रखते थे। प्रतिपरीक्षण के पैरा-5 में उसने यह भी स्वीकार किया कि जब वे दुलार के घर गए थे, तो काला सिंह भी उनके साथ गया था। काला सिंह दुलार के घर में बैठा था। इसके बाद उसने कहा कि वह वापस जा रहा है और दुलार के घर से चला गया। अपने प्रतिपरीक्षण के आखिरी हिस्से में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि चूंकि काला सिंह के साथ उनके संबंध शत्रुतापूर्ण हैं, इसलिए यह सच है कि वह दुश्मनी के कारण आरोपी काला सिंह के खिलाफ गवाही दे रहे हैं।

(15) रामधनी राम (अ.सा-7) ने भी गवाही दी कि घटना वाली रात लगभग 9.00 बजे आरोपी काला सिंह पेका सिंह के घर आया और उन्हें गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि उन्हें सीने में गोलियां लगेंगी। काला सिंह ने उनके गद्दे फेंक

दिए। इसके बाद वे रात में सोने के लिए दुलार के घर चले गए। आरोपी काला सिंह भी उनके साथ दुलार के घर गया था। वह वहां 3-4 मिनट बैठा रहा और उसके बाद वह चला गया।वह चला गया। अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों के आधार पर यह बात स्पष्ट नहीं होती कि आरोपी काला सिंह मृतकों के घर में नियमित रूप से सोता था। यदि हम जगन्नाथ सिंह (अ.सा-1) के साक्ष्य पर विश्वास करें, तो दोनों परिवारों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। वे लंबे समय से दीवानी मुकदमों में उलझे हुए थे। इसलिए, भैयाराम (अ.सा-3) का यह कथन कि आरोपी काला सिंह मृतकों के घर में नियमित रूप से सोता था, सही प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार, यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हुआ कि आरोपी काला सिंह मृतकों के घर का नियमित निवासी था। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का यह भी मामला नहीं था कि आरोपी काला सिंह मृतकों के साथ रहता था और नियमित रूप से उनके घर में सोता था, इसलिए उसे यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि रात में घटना कैसे घटी। यदि हम भैयाराम (अ.सा-3) और रामधनी राम (अ.सा-7) के साक्ष्यों पर गौर करें, तो उन्होंने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपी काला सिंह उनके साथ दुलार के घर गया था और उसके बाद वह वहां से चला गया। अतः यदि हम यह मान लें कि आरोपी काला सिंह पहले मृतकों के घर आया और भैयाराम (अ.सा-3) और रामधनी राम (अ.सा-7) को धमकाया और उसके बाद इन गवाहों के साथ दुलार के घर गया, तब भी यह सिद्ध नहीं होता कि दुलार के घर में उन्हें छोड़ने के बाद वह मृतकों के घर लौटा था। भैयाराम (अ.सा-3) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि शत्रुता के कारण वह आरोपी काला सिंह के विरुद्ध गवाही दे रहा है। रामधनी राम (अ.सा-7) की गवाही भैयाराम (अ.सा-3) की गवाही से लगभग मिलती-जुलती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने उनकी गवाही पर भरोसा करने और यह अवधारित में त्रुटि की है कि आरोपी काला सिंह रात में मृतकों के घर गया था और उसने इन गवाहों से उपरोक्त तरीके से बात की थी। अतःयह बात सिद्ध नहीं हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) अगली परिस्थिति आरोपी मंगरू सिंह द्वारा होंड्रो सिंह (अ.सा-4), राधा सिंह (अ.सा-5) और रामधनी साओ (परीक्षित नहीं) के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की परिस्थिति है।

(17) होंड्रो सिंह (अ.सा-4) ने गवाही दी कि आरोपी मंगरा सिंह राधा सिंह (अ.सा-5) के घर में मिला था। उसने उनसे कहा कि उसने पेका सिंह और उसकी पत्नी की हत्या की है। होंड्रो सिंह (अ.सा-4) को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। लोक अभियोजक द्वारा उसका प्रतिपरीक्षण किया गया। प्रतिपरीक्षण में उसने इस बात से इनकार किया कि आरोपी मंगरा सिंह ने उसके सामने कहा था कि उसने घासिया सिंह और काला सिंह के साथ मिलकर मृतकों की हत्या कारित की है। उसे उसके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान (प्रदर्श-पी 15) से अवगत कराया गया। उसने पुलिस को ऐसा बयान देने से इनकार किया और लोक अभियोजक के इस सुझाव को भी नकार दिया कि यह कहना सही नहीं है कि वह जानबूझकर आरोपी घासिया सिंह और काला सिंह का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि वह उन्हें उन्मोचित करना चाहता है। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रतिपरीक्षण में उसने पुलिस को कोई बयान देने से इनकार किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस ने उसका बयान कभी दर्ज नहीं किया। यदि पुलिस अभिलेख में उनके बयान को दर्शाने वाला कोई कागज संलग्न किया गया है, तो यह गलत है क्योंकि उन्होंने पुलिस के समक्ष कभी कोई बयान नहीं दिया है।

(18) राधा सिंह (अ.सा -5) ने गवाही दी कि आरोपी मंगरा सिंह ने उन्हें बताया था कि आरोपी काला सिंह ने मृतकों की हत्या की है। उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया। उसकी गवाही से यह निष्कर्ष निकला कि मंगरू सिंह ने स्वयं के बारे में कोई संस्वीकृति नहीं की।

(19) कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति बयान के तीसरे गवाह रामधनी साव से अभियोजन पक्ष ने परिक्षण कराया है। होंद्रो सिंह (अ.सा-4) और राधा सिंह (अ.सा-5) के साक्ष्यों का मूल्यांकन करने पर, हम पाते हैं कि आरोपी मंगरा सिंह द्वारा राधा सिंह (अ.सा-5) के समक्ष की गयी कथित संस्वीकृति बयान दोषमुक्ति का प्रमाण था क्योंकि उसने स्वयं मृतकों की हत्या करने का उल्लेख नहीं किया था। इसके विपरीत, उसने कहा कि उसके भतीजे, आरोपी काला सिंह ने मृतकों की हत्या की है। होंद्रो सिंह (अ.सा-4), जिसके समक्ष आरोपी मंगरू सिंह ने संस्वीकृति की गयी, अपने केस डायरी के बयान से पूरी तरह मुकर गया। उसने पुलिस को कोई बयान देने से इनकार किया। होंद्रो सिंह (अ.सा-4) और राधा सिंह (अ.सा-5) को विरोधी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

(20) संस्वीकृति आरोपी द्वारा स्वीकृति है और यदि वह स्वयं को दोषी नहीं ठहराता है, तो बयान को संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह उसके अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है।

(21) यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी मंगरा सिंह ने अलग-अलग समय पर होंड्रो सिंह (अ.सा-4), राधा सिंह (अ.सा-5) और रामधनी साव के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है। होंद्रो सिंह (अ.सा-4) के अनुसार, आरोपी मंगरा सिंह ने राधा सिंह (अ.सा-5) और रामधनी साव की उपस्थिति में उनके सामने संस्वीकृति की। यदि हम होंद्रो सिंह (अ.सा-4) के साक्ष्य को देखें, तो आरोपी मंगरा सिंह ने संस्वीकृति की उसने स्वयं मृतकों की हत्या की है, जबकि राधा सिंह (अ.सा-5) के अनुसार, आरोपी मंगरा सिंह ने कबूल किया कि उसके भतीजे आरोपी काला सिंह ने मृतकों की हत्या की है, जो कि दोषमुक्ति का बयान था। हमारा मानना है कि इन दो गवाहों, अर्थात् होंद्रो सिंह (अ.सा-4) और राधा सिंह (अ.सा-5) के साक्ष्य में उपरोक्त विसंगतियों के आलोक में, आरोपी मंगरा सिंह द्वारा इन गवाहों के समक्ष किए गए कथित संस्वीकृति का साक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ। ये पक्षद्रोही थे और उनकी गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं था।

(22**) <u>हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343</u>** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "परिस्थितिजन्य साक्ष्य से निपटते समय हमेशा यह खतरा रहता है कि अनुमान या संदेह विधिक प्रमाण का स्थान ले सकते हैं। इसलिए यह याद रखना उचित है कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का हो, उनमें जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें सर्वप्रथम पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल आरोपी के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए, और वे ऐसी होनी चाहिए कि सिद्ध किए जाने वाले परिकल्पना के अलावा हर परिकल्पना को खारिज कर दें। दूसरे शब्दों में, साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने का कोई उचित आधार न बचे और यह ऐसी होनी चाहिए जिससे यह सिद्ध हो कि मानवीय संभावनाओं के आधार पर यह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।

(23) इसके बाद कई निर्णयों में, जिनमें **<u>धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एससीसी 22</u>** और बोध राज उर्फ बोधा और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, एआईआर 2002 एससी 3164 के निर्णय शामिल हैं,

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, और यह लगभग सर्वमान्य है, कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

(i) जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का अनुमान लगाया जाता है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए;

(ii) वे परिस्थितियाँ निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करने वाली होनी चाहिए;

(iii) परिस्थितियों को समग्र रूप से देखने पर एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि इस निष्कर्ष से बचना असंभव हो कि सभी मानवीय संभावनाओं के अनुसार अपराध आरोपी द्वारा ही किया गया था और किसी अन्य द्वारा नहीं, और यह आरोपी के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण के योग्य भी नहीं होना चाहिए।

(24) इस मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष का अनुमान लगाया गया है, वे दृढ़ता से स्थापित नहीं हुई हैं। उनका कोई निश्चित रुझान नहीं है। परिस्थितियाँ स्पष्ट की जा सकती हैं और परिस्थितियों की श्रृंखला भी पूरी नहीं है।

(25) उपरोक्त कारणों से, हम उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
BILASPUR

(26) परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 449/34 के तहत दी गई दण्ड और दोषसिद्ध अपास्त की जाती है। अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से बरी किया जाता है। अपीलार्थीगण को दिनाँक 8.5.2004 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे जेल में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

सही/-

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By- YOGITA NAIK Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur